

ब-अदालत अनुमंडल दण्डाधिकारी, महागामा।

क्रि०मि० केश नं०-186/2017

चन्द्रशेखर सिंह बनाम् बुद्धिनाथ चौवे

धारा-145 द०प्र०स०

:- आदेश :-

14/10/25
अभिलेख उपस्थापित। RCMS Portal के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि क्रि०मि० केश नं०-186/2017 चन्द्रशेखर सिंह बनाम् बुद्धिनाथ चौवे से संबंधित अभिलेख सामान्य न्यायालय से संबंधित है, परन्तु भूल वस RCMS Portal में Entry हो गया है।

अतः उक्त वाद से संबंधित अभिलेख सामान्य न्यायालय में अंतरित करते हुए RCMS Portal से हटाया जाता है।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
महागामा।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
महागामा।